विशेषांक 825-त-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(344)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– /2015

विनोद भार्गव एडवो. द्वारा आज दि. 17-4-15 को प्रस्तुत

17-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती गायत्री देवी रूसिया पत्नी श्री जगत नारायण रूसिया, निवासी–गल्ला मण्डी, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

———आवेदिका

बनाम

1. विनोद नौगरिया पुत्र श्री हरीदास नौगरिया, निवासी–छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर छतरपुर (म.प्र.)

———अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
17-4-2015

राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर तहसील छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक–31/अ–12/2014–15 में की गई सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 09/03/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैध, अनुचित अधिकारिता रहित एंव विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, आवेदिका के भूमि स्वामी स्वत्व एंव आधिपत्य की भूमियाँ सर्वे क्रमांक–68, 69 एवं 70, 71 तथा अन्य सर्वे नंबरान अनावेदक क्रमांक–1 की भूमि सर्वे क्रमांक–72 एवं 73 से सटे हुये हैं। विद्वान अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा द्वारा आवेदिका सरहदी भूमि–स्वामी कृषक को सूचना दिए बिना

Hmt. (Rd-=1)

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—825—एक/2015 **जिला—छतरपुर**

श्रीमती गायत्री देवी रूसिया विरूद्ध विनोद नौगरिया व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—02—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील छतरपुर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 31/अ—12/2014—15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 09—03—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18—04—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 25/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	